निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 125/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कैलाश पुत्र भंवर लाल जाति दर्जी निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा आर.ए.एस पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर।
2. श्रवण पुत्र भैरू राम जाति जाट निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. रघुराज सिंह पुत्र सांवलदान जाति चारण निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
4. कमल सिंह पुत्र रघुराज सिंह जाति चारण निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
5. गोपाल सिंह पुत्र शम्भूदान सिंह जाति चारण निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. छोटू राम पुत्र रामपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम झोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 86/2019 एवं 119/2018 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 52/2019 पुराना 64/2018 व उनवानी कैलाश बनाम श्रवण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हरिनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.09.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 86/2019 एवं 119/2018 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 52/2019 पुराना 64/2018 ब उनवानी कैलाश बनाम श्रवण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री राजाराम चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनाम पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 13.12.2018 को प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की सुनवाई करते हुये दिनांक 13.12.2018 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी कर अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 को पाबन्द किया गया तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके है। अभी हाल में ही दिनांक 18.12.2020 को प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, वहां पर अप्रार्थी संख्या 3 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में रीडर के पद पर कार्यरत था जो कि वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुका है वह अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के पास बैठा रहता है तथा कोर्ट के वर्तमान कर्मचारियों के पास बैठा रहता है तथा दिनांक 18.12.2020 को प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ तब अप्रार्थी संख्या 3 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकला और उन्होंने प्रार्थी को यह कहा कि मै इस न्यायालय में रीडर था यहां पर मेरा काफी प्रभाव है। मैं अधिकारी, नेताओं से सम्बन्ध रखता हूँ तथा अप्रार्थी संख्या 4 वर्तमान में विद्यायक से फोन करवा कर प्रार्थी के दावे को खारिज करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बना रखा है और हमने साहब से बात कर ली है। दिनांक 18.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को खुले न्यायालय में धमकी दी कि मेरे पर स्थानीय विधायक व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का दबाव है। इस कारण आपका दावा व टी आई खारिज करूंगा। उक्त सम्पूर्ण घटना से प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 13.12.2018 को प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दावा व टी आई में प्रार्थी के विरूद्व अनुचित आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को लाभ पहुंचा सकते है। जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है और प्रार्थी की खातेदारी की जमीन से बेदखल कर कब्जा कर सकते है। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया । जब अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया

जिला कलक्टर
जयपुर

जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर स्थगन प्राप्त कर रखा है और दूसरा दावा चल रहा है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में जारी स्थगन आदेश को येनकेन प्रकारेण बहाल यथावत रखने के लिए प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की की मन्शा से कपोल कल्पित तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फागी से उक्त प्रकरण में एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और प्रार्थी ने ही पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 को पूर्व में रीडर होने का कथन कर मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। अप्रार्थी संख्या 3 वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप स्वीकार करने योग्य नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने विवादित भूमि में सार्वजनिक रास्ता बताया है जिस पर प्रार्थी ने स्थगन प्राप्त कर रखा है। इस से सम्बन्धित दूसरा दावा भी इसी न्यायालय में चल रहा है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने की मन्शा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को येनकेन प्रकारेण यथावत रखना पाया गया है। जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। फलस्वरूप मुन्तकिलन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर फागी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर